राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि / नरेगा / माद / बारां / 68247 / 2010 जयपुर, दिनांक : 10 FEB 2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
बारां एवं उदयपुर।

विषय :– **बारां जिले मे निवासरत "सहरिया एवं खैरूआ" जनजाति तथा उदयपुर जिले में निवासरत कथौडी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से उपलब्ध करवाने बाबत।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा बारां जिले में निवासरत **"सहरिया एवं खैरूआ" जनजाति** तथा उदयपुर जिले में निवासरत **"कथौडी"** जनजाति परिवारों को **वित्तीय वर्ष 2020–21 में** महात्मा गांधी नरेगा योजना में **100 दिवस का निर्धारित रोजगार पूर्ण करने के पश्चात** नियमानुसार रोजगार की मांग किये जाने पर **100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से** अर्थात **कुल 200 दिवस का रोजगार प्रति परिवार उपलब्ध** कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य मद से 100 दिवस के अतिरिक्त रोजगार के लिए कृपया निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने का श्रम करावे :–

I. उक्त अतिरिक्त रोजगार के लिए **मस्टररोल नियमानुसार नरेगा सॉफ्ट से** ही जारी की जायेगी।

II. **जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक** महात्मा गांधी नरेगा सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा **पंचायत समिति स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी** महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति यह सुनिश्चित करेगे कि **100 दिवस का यह अतिरिक्त रोजगार केवल उक्त वर्णित जनजाति के परिवारो** को ही उपलब्ध कराया जावे एवं **अन्य परिवारो को योजनान्तर्गत नियमानुसार 100 दिवस का रोजगार** ही दिया जावे।

उक्त निर्देश वित्त विभाग की आई.डी संख्या 102100645 दिनांक 09.02.2021 से प्राप्त स्वीकृति के अनुरूप जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रत्येक वर्ष के अनुरूप राज्य मद से 100 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु नरेगा सॉफ्ट में उचित प्रावधान कराये जाने का श्रम करावे।
3. मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां एवं उदयपुर।
8. सहायक निदेशक (आईईसी) को प्रेषित कर लेख है कि प्रेस नोट रिलिज करने की व्यवस्था करें।

10/2

१परि.निदे.एव संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner